

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक ०५/१२/२०१९

क./भा.भु.यो./वि.स./आश्वासन/२०५/५८५२  
प्रति


संचालक  
संचालनालय  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

विषय :- विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2791 पर निर्मित आश्वासन क्रमांक 205 की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

खरीफ 2017 भावांतर भुगतान योजना के हितग्राहियों को भावांतर भुगतान राशि का भुगतान शेष होने के संबंध में आश्वासन क्रमांक 205 निर्मित हुआ है। इस संबंध में जिला कलेक्टर भोपाल, रायसेन, हरदा, विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल, खरगोन, धार, अलिराजपुर, खडण्वा, बुरहानपुर, रतलाम, शाजापुर, दतिया, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, गुना, भिंड, टीकमगढ़, छतरपुर, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिण्डौरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, अनूपपुर, उमरिया में योजना अंतर्गत किसी भी कृषक का भुगतान शेष नही होने का पालन प्रतिवेदन भेजा है। उक्त जिला कलेक्टरों से प्राप्त पालन प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

2. उक्त विधान सभा आश्वासन के हितग्राहियों को भावांतर राशि के भुगतान के लिए कलेक्टर सीहोर, आगर-मालवा, छिंदवाड़ा, सागर, दमोह, देवास, पन्ना एवं मंदसौर ने संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को राशि आवंटित करने का प्रस्ताव भेजा जाना संसूचित किया गया है। इन पत्रों की छायाप्रतियां सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। जिनके आधार पर संबंधित जिलों को वांछित राशि आवंटन बाबत उपयुक्त कार्यवाही करना चाहेंगे।

संलग्न :- पृष्ठ संख्या.....।

  
(अशोक कुमार वर्मा)

प्रबंध संचालक


म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क./भा.भु.यो./वि.स./आश्वासन/205/4843  
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

भोपाल, दिनांक 04/12/2019

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला - ..... की ओर पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... 2019 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय -... भोपाल।
4. भारसाधक अधिकारी/नोडल मंडी सचिव/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति - .....।

  
प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल